(71)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : एम.गोपाल रेड्डी,
प्रशासकीय सदस्य

निगरानी 1869–दो/16 विरुद्ध आदेश दिनांक 26.05.2016 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी प्रकरण कमांक 04/15–16/अ–27

भानुप्रताप सिंह मृत वारिसान
1. मुस. भुरिया बाई बेवा भानुप्रताप सिंह रघुवंशी
2. राजेन्द्र सिंह स्व. श्री भानुप्रताप सिंह रघुवंशी
निवासीगण ग्राम विनैका तहसील बदरवास
जिला शिवपुरी म0प्र0 .....**आवेदकगण**

विरुद्ध

बहादुर सिंह पुत्र स्व0 श्री कोमल सिंह रघुवंशी
निवासी हरजन थाने के पास नवाव साहब रोड
जिला शिवपुरी (म.प्र.) .....**अनावेदक**

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.पी. धाकड़
अनावेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एस.के. वाजपेयी

आदेश

(आज दिनांक 16/1/18 **को पारित)**

यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी कोलारस जिला शिवपुरी के प्रकरण कमांक 04/15–16/अ–27 में पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण द्वारा ग्राम विनेका की भूमि सर्वे क. 516, 640, 644, एवं 779 के संबंध में धारा 109, 110 के अधीन तहसील न्यायालय बदरवास में एक आवेदन प्रस्तुत किया। उक्त भूमियों के नामांतरण के संबंध में नामांतरण पंजी क. 17 आदेश दिनांक 02.05.2009 एवं ग्राम गिन्दौरा की नामांतरण पंजी क. 16 आदेश दिनांक 18.05.2009 द्वारा नामांतरण किया गया। तहसीलदार के इन आदेशों के विरुद्ध रिव्यु अनुमति हेतु अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश की गई। जो आदेश दिनांक 26.05.2016 के द्वारा स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरुद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

3/ आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिये गये हैं कि नामांतरण पंजी क. 17 आदेश दिनांक 02.05.2009 एवं नामांतरण पंजी क. 16 आदेश दिनांक 18.05.2009 की रिव्यु अनुमति हेतु ठीक 7 वर्ष पश्चात् अनुविभागीय अधिकारी कोलारस के समक्ष आवेदन प्रस्तुत किया। जिसमें आवेदकगण को बिना पक्षकार बनाये 7 वर्ष की समयावधि को ताक पर रखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा आदेश दिनांक 26.05.2016 से रिव्यु अनुमति देने की महान भूल की है जबकि अनावेदक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष 7 वर्ष के विलंब के संबंध में ना कोई स्पष्टीकरण और ना ही उक्त आवेदन के साथ अवधि विधान की धारा–5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। इस कारण उक्त आदेश अधिकारिता रहित होने से निरस्ती योग्य है।

उनके द्वारा यह भी तर्क दिए गए हैं कि विवादित भूमि आवेदक द्वारा प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष अपील प्रस्तुत करने का उपचार था, परंतु अपील न कर रिव्यु आवेदन प्रस्तुत किया गया है जो 7 वर्ष पश्चात प्रस्तुत किए जाने के कारण अवधि वाह्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण का निराकरण गुण–दोषों के आधार पर पारित किया जाना न्यायसंगत नहीं है। इसलिए अधीनस्थ न्यायालय का आदेश निरस्ती योग्य है।

4/ अनावेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिये गए हैं कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.05.2016 न्यायसंगत है। एवं इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत निगरानी को निरस्त किए जाने का निवेदन किया गया है।

5/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । अभिलेख को देखने से स्पष्ट होता है कि अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दोनों पक्षों को सुनने के उपरांत तहसीलदार को उनके द्वारा पारित आदेश के पुनरावलोकन की अनुमति दी गई है । आदेश में अनुविभागीय अधिकारी ने कारणों का भी उल्लेख किया है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश को अवैधानिक नहीं ठहराया जा सकता है। चूंकि पुनरावलोकन की अनुमति उपरांत प्रकरण का निराकरण अभी तहसील न्यायालय में होना है जहां आवेदकों को अपना पक्ष रखने का समुचित अवसर उपलब्ध है, इस कारण भी अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं है ।

परिणामतः यह निगरानी निरस्त की जाती है ।

(एम. गोपाल रेड्डी)
प्रशासकीय सदस्य
राजस्व मंडल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर